

2 APR 2015

C.C. No. 823/15

परिवाद-पत्र

मा. न्यायादण्डाधिकारी सो प्रथमवर्ग लोहमार्ग न्यायालय, टोण्ड की सेवा में सविनय सादर

01. RPF थाना :- लोनी
02. मामला रजि. क्रमांक :- 274/2015.
03. धारा :- 155 रेल अधिनियम
04. घटना की दिनांक एवं समय :- दिनांक 02.04.2015 को समय 08.20 बजे
05. घटनास्थल :- TNO 17032 हंका एका विक्लीग कोच मे अगली
06. फरियादी का नाम व पता :- आ. प्र. आ. 0102347 आर. ए. सिप्राथ RPF/थाना/लोनी
07. संलिप्त व्यक्ति का नाम व पता :- नाबीर शमाक मगरी उम्र 26 वर्ष,
पता- उड़ी, हस्पतर, मि. पुणे
08. जप्त मुद्देमाल का विवरण :-
09. मा. न्यायालय में हाजिर रहने की दिनांक व समय :- दिनांक 02.04.2015 को समय 11:00 बजे
10. जांच अधिकारी का नाम व पता :- ए. डी. वाघमोर ASI/SI/PF/RPF/थाना/लोनी
11. घटना की संक्षिप्त हकिकत :- मा. न्यायालय की सिमा एवं रेलवे सुरक्षा बल, थाना, लोनी के कार्यक्षेत्र में दिनांक 02/04/2015 को कॉलम नं. 07 के व्यक्ति व्दारा कॉलम नं. 05 के घटनास्थल पर अनाधिकृत रूप से उपरोक्त कोच के विक्लीग कोच मे बेंकट राखा कले मध्य रेल अधिनियम की धारा 155 उल्लंघन किया है। कारणवश उक्त व्यक्ति को रेल अधिनियम के तहत "नोटीस" जारी कर उचित कानुनी कार्यवाही होने हेतु मा. न्यायालय के समक्ष उक्त मामला विचारण हेतु पेश किया जा रहा है।

अतः मा. न्यायालय से विनती है कि, उक्त व्यक्ति के विरुद्ध उचित कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करके उक्त व्यक्ति के पास से जप्तशुदा माल के निपटारा हेतु आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करें।

संलिप्त व्यक्ति के हस्ताक्षर :-

संलग्न दस्तावेज

:- फरियाद, नोटीस

मे.हु.को.जा.व्हावे.

निरीक्षक
आर. पी. एफ. थाना, लोनी
Inspector
R.P.F. Thana, Loni

दंड जमा 200/-
बाधती 026/941

मह. प्रदीपक.
महामा. न्यायालय लोह

मला गन्हा कपल भाः


समक्ष

प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी

लोहमार्ग, दौंड,

2 APR 2015

ADDRESS produced before the Plea recorder.
side Exn. 01. The contents of Plea read
and explained which he
understood. He is guilty.
the Commission. 155.Rly Act.

Hence he is convicted and Sentenced

to Pay a Fine of Rs. 200/-

Judicial Magistrate
J.M.F.C. (Rly.) Daund.

2 APR 2015